भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

**लोक सभा**
अतारांकित प्रश्न संख्या **339**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023/30 आषाढ़, 1945 (शक) को दिया जाना है।

**डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की कमी**

**339. श्री पी. वेलुसामी:**
**श्री रमेश चन्द्र माझी:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार देश में यूरिया उर्वरकों और गैर-यूरिया आधारित डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की कमी के कारण किसानों को अत्यधिक कीमतों पर इनकी खरीद करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा किसानों को उचित निर्धारित मूल्य पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार की विदेशी उर्वरक विनिर्माताओं को भारत में स्थानीय सहयोग से संयंत्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(भगवंत खुबा)**

---

**(क):** वर्तमान खरीफ 2023 मौसम के दौरान भारत में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके और एनपीके) की उपलब्धता सहज बनी हुई है।

**(ख):** किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किलोग्राम की बोरी का अधिकतम खुदरा मूल्य 242 रुपये प्रति बोरी (नीम लेपन प्रभारों और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों की निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माता/आयातक को राजसहायता के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को यूरिया की आपूर्ति राजसहायताप्राप्त दरों पर की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पीएण्डके उर्वरकों के लिए तर्कसंगतता दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को पीएण्डके उर्वरक उचित मूल्यों पर उपलब्ध हों।

**(ग) से (ड.):** जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*******